

# उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

विविध (आपूर्ति) वाद संख्या-.....18/2016

मीना देवी बनाम झारखण्ड राज्य।

3.1.17  
19.1.17  
Withdrawn

अपीलार्थी मीना देवी पति-द्वारिका नाथ, निवास ग्राम-पुरनाडीह, पोस्ट-फुलवरिया, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के पारित आदेश ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28.11.2016 के विरुद्ध द्वारा विविध (आपूर्ति) अपील वाद दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009 को रद्द किया गया है।

मीना देवी का कहना है कि उनकी अनुज्ञप्ति संख्या 9/2009 को रद्द किये जाने के पूर्व पूरे मामले की जांच नहीं की गयी और हड़बड़ी में आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009 को रद्द किये जाने संबंधी आदेश को Set-aside करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर, इस अपील को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन पत्र के साथ वकालतनामा एवं अन्य कागजात की छायाप्रति संलग्न की गई है।  
अभिलेख दिनांक 03 / 01 / 2016 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त

कोडरमा

G.C. No  
17  
28.1.17

3.1.17

अपीलार्थी - मीना देवी की हाजरी दी गई।

राज्य - जी. पी. की हाजरी दी गई।

~~अपीलार्थी~~ अपीलार्थी उक्त वाद अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009 को रद्द किया गया है।

19/1/17 को उपायुक्त को

19.1.17

अपीलार्थी - मीना देवी की हाजरी दी गई।

राज्य - जी. पी. की हाजरी दी गई।

अपीलार्थी ने अपील withdraw करने में अग्रिम-27

जारी - 27

27/1